अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 अनुदानों के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड वित्तीय नियम (झा.वि.नि.) निर्धारित करता है कि विभागीय अधिकारी को अनुदानग्राही संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के उपरान्त इसे महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड को अनुदान स्वीकृति के 12 महीनों के अन्दर अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 तक भुगतान किये गये सहायता अनुदान के विरूद्ध, ₹29,449.52 करोड़ के कुल 17,324 उ.प्र.प. मार्च 2017 के अंत तक बकाया था। ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा भाग छह विभागों यथा शिक्षा विभाग (₹10,850.96 करोड़ के कुल 800 उ.प्र.प.), नगर विकास विभाग (₹4,588.34 करोड़ के कुल 5,673 उ.प्र.प.), कल्याण विभाग (₹1,641.86 करोड़ के कुल 7,198 उ.प्र.प.), स्वास्थ्य विभाग (₹851.03 करोड़ के कुल 18 उ.प्र.प.), उद्योग विभाग (₹390.10 करोड़ के कुल 504 उ.प्र.प.) और कृषि विभाग (₹275.82 करोड़ के कुल 136 उ.प्र.प.) के विरूद्ध बकाये थे। विभागवार बकाया उ.प्र.प. का वर्गीकरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2017 तक बकाये उ.प्र.प. की संख्या एवं राशि क्रमश: 17,324 एवं ₹29,449.52 करोड़ है जिसे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (31.03.2017 तक)

वर्ष जिसमें सहायता अनुदान वितरित किये गये	वर्ष जिसमें उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया हुआ	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
		संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2013-14 तक	2014-15 तक	5,564	4,748.06
2014-15	2015-16	2,408	11,981.28
2015-16	2016-17	9,352	12,720.18
बकाये उ.प्र.प. की कुल सं.		**17,324**	**29,449.52**

स्रोत :झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2016-17

आगे, 31 जुलाई 2017 को वृहत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों वाले छः विभागों में विगत चार वर्षों की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका में दी गई हैं:

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (31.07.2017 को) वाले प्रमुख विभाग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
		उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि	उ.प्र.प. की सं.	राशि
1	मानव संसाधन	2	32.00	12	404.49	103	6,642.29	557	2,509.26
2	ग्रामीण विकास	0	0.00	0	0.00	01	0.90	191	1,551.57
3	पंचायती राज एन.आर.ई.पी.	41	447.56	449	568.23	944	1,974.75	136	675.51
4	उर्जा	0	0.00	0	0.00	6	1,852.02	22	2,204.44
5	शहरी विकास	796	432.04	856	413.54	905	868.56	946	2,191.98
6	कल्याण	98	166.11	152	166.77	215	226.26	6,505	1,038.08
कुल योग		**937**	**1,077.71**	**1,469**	**1,553.03**	**2,174**	**11,564.78**	**8,357**	**10,170.84**

वर्ष 2013-14 के उपरांत लंबित उ.प्र.प. को संख्या एवं राशि में वृद्धि का कारण भारत सरकार का निर्णय (जुलाई 2013) था जिसके तहत पूर्व में प्रचलित प्रथा जिसमें अभिकरणों को सीधा हस्तांतरण किया जाता था के स्थान पर कार्यन्वयन अभिकरणों को राज्य सरकार के द्वारा हस्तांतरण किया जाने लगा।

मार्च 2017 के अंत तक ₹29,449.52 करोड़ की बड़ी राशि से संबंधित सहायता अनुदान के विरूद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता ससमय प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है।

यह भी देखा गया कि झारखण्ड सरकार द्वारा पत्र सं. 759/एफ दिनांक 20.03.2015 के द्वारा कोषागार संहिता नियम 329-331 में ढील दी गई जिससे प्र.म.ले. (लेखा एवं हक.) से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता समाप्त हो गई। फलत: बकाया उ.प्र.प. की राशि 2014-15 में ₹5,148.57 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹29,449.52 करोड़ हो गई।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अन्दर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य अनुदान दोषी अनुदानग्राही संस्थान को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अन्दर उ.प्र.प. समर्पित नहीं करते है, के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा

3.2.1 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

सी.ए.जी. द्वारा वैसे सभी निकायों तथा प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा किया जाता है जो समेकित निधि द्वारा ऋण या अनुदान के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हो या जो ऐसे ऋण या अनुदान विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त करते हों। वर्तमान में, कुल 75 ऐसे निकाय या प्राधिकरण हैं जिनमें से 72 की लेखापरीक्षा जाँच की गई, जिनका विवरण **परिशिष्ट 3.2** में है।

संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 75 निकायों/प्राधिकरणों में से केवल चार ने अद्यतित लेखे प्रस्तुत किये। शेष निकायों/प्राधिकरणों में से तीन ने निकायों/प्राधिकरणों के गठन के समय से ही लेखापरीक्षा को लेखे नहीं सौंपे जबकि अन्य शेष निकायों/प्राधिकरणों के लेखे बार-बार सूचना के पश्चात भी एक से 13 वर्षों तक लंबित रहे।

अनुशंसा:

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये उचित युक्ति अपनाने की आवश्यकता है कि ये लेखाएँ एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संकलित और लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं ताकि वित्तीय अनियमितताएँ, यदि कोई हो, छूट ना जायें।

3.2.2 सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

राज्य में ऐसे पाँच स्वायत्त निकाय[1] है जिनकी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत लेन-देनों, प्रचालन गतिविधियों और लेखाओं के परीक्षण, लेन-देनों के अनुपालन लेखापरीक्षा का संचालन आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा से संबद्ध लेखापरीक्षा की जाती है।

इन स्वायत निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण **तालिका 3.3** में दिये गये हैं।

[1] (i) 22 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जि.वि.से.प्रा.) सहित झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), (ii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.), (iii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), (iv) राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) तथा (v) झारखंड आवास बोर्ड, राँची।

तालिका 3.3 : स्वायत निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण एवं लेखापरीक्षा की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये	अवधि जब तक पृ.ले.प्र. निर्गत हुये	विधानसभा में पृ.ले.प्र. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झाररखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2015-16	2015-16	सूचित नहीं किया गया।	2016-17 के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2017)।
2	झाररखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (झा.रा.वि.नि.आ.)	2011-12	2011-12	03.03.2014	2012-13 से 2015-16 तक के वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2017)।
3	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	शून्य	शून्य	शून्य	सक्रिय अनुनय के बावजूद वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के वार्षिक लेखे सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं हुए है।
4	राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास)	शून्य	शून्य	शून्य	वार्षिक लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से जारी है।
5	झारखण्ड आवास बोर्ड, राँची	शून्य	शून्य	शून्य	आरम्भ से (2001) वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से जारी है।

पृ.ले.प्र. - पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

झालसा के लेखापरीक्षित लेखाओं के मामले में पृ.ले.प्र. के प्रस्तुत किये जाने की सूचना सक्रिय प्रयास के बावजूद प्रदान नहीं की गयी। अग्रतर, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तीन निकायों के लेखे के प्रस्तुतीकरण के लिये मामले को लगातार संबंधित प्राधिकारियों के सामने उठाया किंतु लेखे इनके गठन के उपरान्त लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। हालाँकि, इन निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से किया गया है।

3.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

कंपनी अधिनियम का धारा 96 (1) निर्धारित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों को वित्तीय विवरणियाँ संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार किया जाना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफल होने की स्थिति में कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रावधानों का भागीदार बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड की राशि ₹एक लाख तक एवं उसके उपरांत ₹5,000 प्रति दिन हो सकती है। 31 दिसम्बर 2017 तक क्रियाशील सा.क्षे.उ. द्वारा लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण **तालिका 3.4** प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.4: कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तारण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	प्रचालित	अप्रचालित	कुल
1	लोक उपक्रमों की संख्या	21	3	24
2	बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	19	3	22
3	बकाया लेखे की संख्या	54	15	69
4(क)	छह वर्षों से अधिक बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	2	1	3
4(ख)	उपरोक्त लोक उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	15	8	23
5(क)	तीन से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	7	1	8
5(ख)	उपरोक्त लोक उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	26	6	32
6(क)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले लोक उपक्रमों की संख्या	10	1	11
6(ख)	उपरोक्त लोक उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	13	1	14
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 8	1 से 8	1 से 8

स्रोत: कंपनी के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से संकलित आंकड़े

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण, आठ वर्षों की अवधि तक कंपनियों के पूरक लेखापरीक्षा करने में सी.ए.जी. असमर्थ रहा, जैसा कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन यह सुनिश्चित करने में संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है कि चूककर्ता कंपनियाँ संबद्ध अधिनियमों का अनुपालन करें।

राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान 11 कार्यशील सा.क्षे.उ. में ₹2,658.06 करोड़ का बजटीय समर्थन {इक्विटी: ₹76.25 करोड़, ऋण: ₹1,271.80 करोड़, पूँजीगत अनुदान: ₹1,310.01 करोड़} प्रदान किया। राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान एक अकार्यशील कंपनी को भी ₹15.53 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रदान किया।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ. के मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जहाँ लेखे बकाया हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक तर्कसंगत अवधि के भीतर अद्यतन किये जाते हैं और उन सभी मामलों में वित्तीय समर्थन को रोक देना चाहिए जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं।

3.2.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये

राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानित प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे के अनुसार, ₹75.74 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹22.97 करोड़ का समग्र लाभ कमाया पर कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसा:

राज्य को शेयर पूँजी के रूप में अपने निवेश पर प्रतिफल के लिए लाभांश नीति बनाना चाहिए।

3.3 संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.), 2016 निर्दिष्ट करता है कि जब आकस्मिक प्रभार कोषागार से अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों द्वारा समर्थक अभिश्रवों के बगैर आहरित किया जाता है तो उप अभिश्रवों से समर्थित और नियंत्री अधिकारी (नि.आ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबद्ध विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को सं.आ. विपत्र की तिथि से छः माह के अन्दर समर्पित करना है।

वर्ष-वार लंबित वि.आ. विपत्रों के विवरण **तालिका 3.5** में दिये गये हैं।

तालिका 3.5 लंबित वि.आ.विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सं.आ. विपत्र		समर्पित वि.आ. विपत्र		बकाया वि.आ. विपत्र		वि.आ. विपत्रों के बकाया राशि का *प्रतिशत*
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2013-14 तक	54,563	15,172	45,692	11,576	8,871	3,596	24
2014-15	550	721	734	385	(-)184	336	47
2015-16	851	1,225	446	461	405	764	62
2016-17	459	1,268	48	313	411	955	75
कुल	**56,423**	**18,386**	**46,920**	**12,735**	**9,503**	**5,651**	**31**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

अधिकतम राशि वाले लंबित वि. आ. विपत्रों वाले विभाग हैं: 'ग्रामीण विकास विभाग' (₹1,189 करोड़), 'कल्याण विभाग' (₹628 करोड़), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹540 करोड़) 'महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग' (₹530 करोड़) एवं 'कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग' (₹260 करोड़)। लंबित वि. आ. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दी गयी है:

तालिका 3.6 : बकाया वि.आ. विपत्रों का विभाग-वार तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	17.4.2018 को बकाया वि.आ. विपत्र					
		2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	86.96	7.00	2.07	1.16	25.66	57.00
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	390.27	0.24	31.71	24.28	68.44	18.05
3	ग्रामीण विकास विभाग	489.78	30.50	26.63	82.80	163.83	214.63
4	कल्याण विभाग	438.51	44.72	60.51	4.69	21.40	22.23
5	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	418.49	30.12	0.18	0.10	83.72	0.00
कुल		**1824.01**	**112.58**	**121.10**	**113.03**	**363.05**	**311.91**

जैसा उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, वि.आ. विपत्रों की एक बड़ी राशि ग्रामीण विकास विभाग के विरुद्ध बकाया था जो वर्ष-दर-वर्ष उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा।

निर्धारित समय के अन्दर वि. आ. विपत्र का समर्पित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय अनुशासन को भंग करता है बल्कि लोकधन के दुर्विनियोजन एवं कदाचार के खतरे की अपरिहार्यता बनी रहती है।

3.4 पथ निर्माण विभाग द्वारा सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा वर्ष 2000-17 अवधि के दौरान सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा की गयी। प.नि.वि. में यह पाया गया कि अवधि के दौरान मुख्य शीर्ष 3054 (₹0.39 करोड़) एवं 5054 (₹449.76) के अंतर्गत 199 सं.आ. विपत्रों के माध्यम से ₹450.15 करोड़ आहरित किये गये जैसा कि **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7- लंबित वि.आ. विपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सं.आ. विपत्र						समर्पित वि.आ. विपत्र						बकाया		बकाया राशि की प्रतिशतता
	शीर्ष				कुल		शीर्ष				कुल				
	3054		5054				3054		5054						
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
2000-14	178	0.38	07	135.10	185	135.48	153	0.32	06	134.54	159	134.86	28	0.62	0.47
2014-15	00	0.00	02	9.00	02	9.00	00	0.00	01	5.26	01	5.26	01	3.74	42
2015-16	01	0.01	05	58.66	06	58.66	00	0.00	02	52.37	02	52.37	04	6.30	11
2016-17	00	0.00	06	247.00	06	247.00	00	0.00	03	207.88	03	207.88	03	39.12	16
सकल योग	**179**	**0.39**	**20**	**449.76**	**199**	**450.15**	**153**	**0.32**	**12**	**400.05**	**165**	**400.37**	**36**	**49.78**	

स्रोत: सं.आ/वि.आ. विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं हक.)

लेखा परीक्षा के दौरान हमने निम्न अवलोकित किया:

3.4.1 पूँजीगत कार्यों हेतु सं.आ. विपत्रों पर निधियों का अनधिकृत आहरण

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) 'आकस्मिक प्रभार' या 'आकस्मिकताएँ' को परिभाषित करता है, इसका अर्थ है और जिसमें सम्मिलित है सभी आकस्मिक व अन्य व्यय जो कार्यालय के रूप में एक कार्यालय के प्रबंधन, या किसी विभाग के तकनीकी प्रचालन के लिए व्यय किये जाते हैं सिवाय उनके जो व्यय के वर्गीकरण के निर्धारित नियमावलियों के अधीन किसी अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत आते हैं यथा- 'कार्य', 'भंडार', 'औजार व संयंत्र' आदि। अतः, सं.आ. विपत्र पूँजीगत निर्माण कार्य के लिए आहरित नहीं किए जा सकते।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹314.66 करोड़ की राशि सं.आ. विपत्र पर (मार्च 2015 से दिसम्बर 2016) अवर सचिव, प.नि.वि., राँची, झारखण्ड द्वारा सड़क व पुलों के निर्माण के लिए आहरित किया गया और झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (झा.रा.रा.प्रा.) को कार्य के निष्पादन के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया जो झा.को.सं. के उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत था।

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकारते हुए, उप सचिव, प.नि.वि. ने कहा कि (फरवरी 2018) क्षेत्रीय कार्यालयों को इससे बचने के लिये निर्देशित किया गया है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्री अधिकारी नियत अवधि से परे लंबित सभी सं.आ. विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि स.आ. विपत्र, बजट को सिर्फ व्यपगत होने से रोकने के लिए आहरित नहीं किए जाते हैं।

3.4.2 वित्तीय वर्ष के अंत में सं.आ. विपत्रों के विरूद्ध आहरण

विनियोग अधिनियम निर्धारित करता है कि कोषागार से आहरित निधि वित्तीय वर्ष के भीतर ही उपयोग किया जाना चाहिए। झारखण्ड कोषागार संहिता भी विनियोग को व्यपगत होने से रोकने हेतु आहरण करने पर रोक लगाती है।

2014-17 के दौरान सं.आ.विपत्रों पर आहरणों के विवरण **तालिका 3.8** में दिये गये हैं।

तालिका 3.8 वित्तीय वर्ष के अंत में सं.आ. विपत्रों का आहरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आहरण						मार्च में आहरित						मार्च में हुए आहरण का *प्रतिशत*
	शीर्ष				कुल		शीर्ष				कुल		
	3054		5054				3054		5054				
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
2014-15	00	0.00	02	9.00	02	9.00	00	0.00	02	9.00	02	9.00	100
2015-16	01	0.01	05	58.66	06	58.67	00	0.00	03	13.66	03	13.66	23
2016-17	00	0.00	06	247.00	06	247.00	00	0.00	01	25.00	01	25.00	10
कुल	**01**	0.01	**13**	**314.66**	**14**	**314.67**	**00**	**0.00**	**06**	**47.66**	**06**	**47.66**	

स्रोत: वी.एल.सी. आँकड़े

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2018)।

3.4.3 सं.आ.विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता निर्धारित करता है कि निधि का आहरण तब तक नही किया जाना चाहिए जब तक उसके तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। अग्रतर, झारखण्ड वित्तीय नियमावली सरकारी धनराशि को सरकारी खाते के बाहर रखने पर रोक लगाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना करते हुए अवर सचिव, स.नि.वि. द्वारा मार्च 2016 से फरवरी 2017 के दौरान सं.आ.विपत्र से ₹32.66 करोड़ की आहरित निधि कार्यान्वयन एजेंसी झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (झा.रा.रा.प्रा.) को स्थानांतरित कर दी गयी, जिसे एजेंसी के बचत बैंक खाते में (मई 2017 से) रख दिया गया।

अनुशंसा:

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार विद्यमान नियमावलियों और प्रावधानों के अनुसार वि.आ. विपत्रों का ससमय प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे।

3.5 2016-17 के विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) विपत्रों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹684.48 करोड़ मूल्य के कुल 1,495 वि.आ. विपत्र समायोजित किए गए। इनमें से ग्यारह[2] मुख्य शीर्षों से संबंधित ₹241.59 करोड़ मूल्य के 101 वि.आ. विपत्रों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नंकित हैं:

- **वि.आ.विपत्र अभिश्रवों द्वारा समर्थित नहीं थे**

लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹232.05 करोड़ राशि के 75 वि.आ.विपत्रों के साथ अभिश्रव, जो कोषागार संहिता के अनुसार आवश्यक है, संलग्न नहीं किए गए जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

उपरोक्त मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं बिना अभिश्रवों के व्यय दर्शाने वाले वि.आ. प्रपत्र प्रस्तुत किए गए थे। इस कारण सं.आ. विपत्र पर आहरित राशि के व्यय की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- **₹ 0.45 करोड़ के अप्रयुक्त राशि की वापसी**

नमूना जाँच किए गए ग्यारह मुख्य शीर्षों में से पाँच[3] में, 2001-02 से 2015-16 की अवधि में वि.आ. विपत्रों के माध्यम से समायोजित 12 मामलों में ₹0.76 करोड़ की कुल राशि में से, ₹0.45 करोड़ की निधि बिना उपयोगिता के एक से 15 वर्षों के बीच की अवधि तक रोक कर रखने के उपरांत कोषागार में जमा किए गए।

- **वि.आ.विपत्रों की विलंब से प्रस्तुति**

जाँच के दौरान यह उद्घाटित हुआ कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 101 वि.आ. विपत्रों में से **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित ₹78.89 करोड़ सन्निहित 74 विपत्र 14 वर्षों तक के विलम्ब से प्रस्तुत किए गए जो झा.को.सं. में दिये गये छः माह की निर्धारित समय-सीमा से काफी अधिक थी।

---

[2] 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशुपालन, 4225- अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूँजीगत व्यय, 4055-पुलिस पर पूँजीगत व्यय, 4403-पशुपालन पर पूँजीगत व्यय, 5054-सड़क एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय, 2401-फसल एवं कृषि-कर्म और 2053-जिला प्रशासन

[3] 2202-सामान्य शिक्षा, 2225- अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण, 4225- अ.जा., अ.ज.जा. अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक कल्याण पर पूँजीगत व्यय 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 2403-पशुपालन

- **वि.आ.विपत्रों का प्रतिहस्ताक्षरित न होना**

यह पाया गया कि ₹31.73 करोड़ सन्निहित 60 वि.आ. विपत्र नियंत्री अधिकारियों के प्रतिहस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किए गए जो नियम 184 को प्रावधानों के विरूद्ध था। इस प्रकार, वि.आ.विपत्रों को नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया।

- **अन्य अनियमितता**

कृषि निदेशक ने मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म के अंतर्गत तीन सं.आ. विपत्र के माध्यम से ₹6.82 करोड़ आहरित किया जिसे तीन माह के अंतराल के उपरांत कोषागार में जमा करा दिया तथा वि.आ. विपत्र साढ़े पाँच वर्षों की अवधि के बाद मार्च 2017 में प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार एवं अन्य संबंधित विभागों को दिसम्बर 2017 एवं जनवरी 2018 में अग्रसारित किया गया। उनसे अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.6 दुर्विनियोग, हानियों इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन

झारखण्ड वित्तीय नियमावली का नियम 31 प्रावधान करता है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति के गबन या अन्य कारणों से हुई हानि की तत्काल सूचना उच्चतर प्राधिकारियों, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड को दी जानी चाहिए उस स्थिति में भी जहाँ इसके लिये उत्तरदायी पक्ष द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो। जैसे ही हानि होने का संदेह उत्पन्न हो, उसकी सूचना अवश्य दी जानी चाहिए; जब जाँच की जा रही हो इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा आग्रह के उत्तर में (10 जुलाई 2017 एवं 25 अगस्त 2017) सितम्बर 2017 तक वित्त विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, विगत वर्षों में लेखापरीक्षा के अनुरोध के उत्तर में वित्त विभाग ने विभागों को सूचना उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया और विभागों ने आगे आहरण व संवितरण अधिकारियों को इसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जो इंगित करता है कि ऐसे मामलों का अनुश्रवण करने हेतु वित्त विभाग के पास नियम 31 के अंतर्गत अपेक्षित कोई डाटाबेस नहीं है। इस प्रकार, वित्त विभाग किसी भी समय के ऐसे मामलों की संख्या और उनकी वस्तुस्थिति पता करने में अक्षम है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को वित्तीय नियम 31 के आलोक में एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए ताकि राज्य को ऐसे मामलों की संख्या, सन्निहित राशि एवं तत्समय उसकी वस्तुस्थिति ज्ञात हो।

3.7 राजस्व तथा पूँजीगत के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का होता है तथा इसकी प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से किया जाना अपेक्षित है। पूँजीगत व्यय को ऐसे व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वस्तुगत व स्थायी प्रकृति के ठोस परिसम्पत्ति के विस्तार के उद्देश्य से या स्थायी दायित्वों को कम करने हेतु वहन किया जाय। तथापि, वर्ष के दौरान सरकार ने गलत ढंग से राजस्व खंड के अंतर्गत "मुख्य कार्य" पर ₹1.16 करोड़ उपलब्ध कराया और व्यय वहन किया जैसा **परिशिष्ट 3.5** में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य और परिसंपत्तियाँ इस सीमा तक कम बताया गया।

भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा.स.ले.मा.)-2 के अनुसार सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार ने पूँजीगत मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय (₹100.00 करोड़) और 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹5.00 करोड़) के अंतर्गत क्रमशः आइ.सी.डी.एस. के अधीन आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण/ रखरखाव/उन्नयन हेतु और झारखण्ड राज्य जल सोसायटी व झालको को वेतन के लिये अनुदान हेतु ₹105 करोड़ का बजट प्रावधान किया। आगे, 2016-17 के दौरान ₹583.79 करोड़ वेतन, रखरखाव, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता इत्यादि, जो राजस्व प्रकृति के थे, पर पूँजीगत शीर्ष से व्यय किया गया। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य और पूँजीगत परिव्यय की इस सीमा तक अतिशयोक्ति हुई। मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है लेकिन अभी तक सुधार नहीं किया गया है।

3.8 निधियाँ आहरित कर व्यक्तिगत बही (व्य.ब.) खातों में रखा जाना

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार कोषागार से राशि का तब तक आहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो।

लेखे के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों के जमा के अंतर्गत लघु शीर्ष में वर्ष 2016-17 के लेन देन से संबद्ध वित्त लेखे और अभिश्रव स्तरीय कंप्यूटरीकरण आंकड़ों की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 31 मार्च 2017 तक राज्य में 155 व्यक्तिगत बही खाते थे।

2016-17 के दौरान, ₹5,217.97 करोड़ के आरंभिक शेष में ₹8,406.87 करोड़ जोड़ा गया फलस्वरूप व्यक्तिगत बही खातों में ₹13,624.84 करोड़ का संचय हो गया। आगे, वर्ष के दौरान ₹4,136.44 करोड़ व्यय किया गया जिससे 2016-17 के अंत में व्य.ब.खातों में ₹9,488.40 करोड़ का शेष बचा रहा। व्य.ब.खातों में वर्षवार शेष के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.9: व्यक्तिगत बही खातों में निधियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2013-14	2,954.43	2,613.93	2,970.86	2,597.50
2014-15	2,597.50	5,155.09	4,422.64	3,329.95
2015-16	3,329.95	12,054.22	10,166.20	5,217.97
2016-17	5,217.97	8,406.87	4,136.44	9,488.40

तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष व्य.ब.खातों में एक बड़ी राशि जोड़ी गयी जबकि वर्ष के दौरान किया गया व्यय काफी कम था जिससे अंतशेष में तीव्र वृद्धि हुई। इस प्रकार, समेकित निधि के बाहर सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे एक वृहत निधि सृजित की गयी जो बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रावधानों के विरूद्ध है। 2016-17 के अंत में राज्य सरकार का व्यय भी ₹9,488.40 करोड़ तक अधिक बताया गया।

व्य.ब.खातों के नमूना जाँच के लिए राँची जिले के तीन कोषागार (डोरण्डा, प्रोजेक्ट भवन एवं राँची) चयनित किए गए। इन कोषागारों में 60 व्य.ब. खाते परिचालित किये जाते हैं जिनमें से उन कोषागारों में शेष के परिमाण के आधार पर 14 व्य.ब. खाते नमूना जाँच के लिए चयनित किए गए। कोषागार अभिलेखों एवं संबंधित इकाइयों के व्य.ब.खातों के शेषों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि:

- झा.को.सं. नियम 334 के प्रावधानों के अनुसार, निक्षेप प्रशासक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत बही खातों की समीक्षा करेंगे। बिना व्यय के पड़ी धनराशि को दो लगातार वित्तीय वर्षों के बाद आगे व्यय नहीं करना चाहिए तथा शेष को संबंधित शीर्ष, जहाँ से धनराशि आहरित की गई थी, के व्यय में कटौती के रूप में स्थानांतरित की जानी चाहिए।

सात संस्थाओं[4] के व्य.ब. खातों की नमूना जाँच से उद्घाटित हुआ कि ₹285.82 करोड़ तीन से लेकर आठ वर्षों से ज्यादा समय तक अप्रयुक्त रही और संबंधित संस्थाओं के प्रशासकों द्वारा 31 मार्च 2017 प्रत्यर्पित नहीं किये गये।

- झा.को.सं. नियम 343 के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निधि के जमा शेष का निधि के प्रशासी प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के अंत में कोषागार अधिकारी एवं बैंक से समाशोधन किया जाएगा। कोषागार से अंतशेष के सत्यापन में तीन लगातार माह तक विफल रहने की स्थिति में, प्रशासक का कोई भी चेक उपायुक्त की विशेष अनुमति के बिना कोषागार पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि नमूना जाँच किये गए तीन संस्थाओं[5] में, व्य.ब.खा. का शेष जैसा कि संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया संबंधित कोषागारों के

[4] झारक्राफ्ट, ज़ेडा, जिला परिषद राँची, जी.आर.डी.ए., जे.एस.एस.सी.डी.सी., आर.एम.सी राँची, जैप-आई.टी.

[5] ज़ेडा, आर.एम.सी. राँची एवं समेति

लेखे में दर्शाये गये शेष से अधिक था जबकि चार संस्थाओं में ये शेष कोषागारों में दर्शाये गये शेष से कम थे।

व्यक्तिगत बही खातों में बिना व्यय के पड़े शेष, जो न तो आवधिक रूप से समाशोधित किये गये और न ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समेकित निधि में स्थानान्तरित किये गये, लोकधन के दुरुपयोग के जोखिम, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग को अपरिहार्य बनाते हैं।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को सभी व्य.ब. खातों की समीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन व्य. ब. खातों में पड़ी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाती हैं। आगे, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जो नियमों के अनुसरण में विफल रहते हैं।

3.9 लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्रविष्टि

प्राप्तियों या व्यय को लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज करना प्राप्तियों और व्यय के अस्पष्ट वर्गीकरण समझे जाते हैं क्योंकि ये शीर्ष योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि, जिससे राशियाँ संबद्ध होती हैं, को स्पष्ट नहीं करते। ये लघु शीर्ष उन प्राप्तियों/व्यय को सामान्यतः समायोजित कर लेते हैं जिन्हें उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अंतर्गत या बजट तैयारी के चरण में उपलब्ध कार्यक्रम लेखाशीर्षों के अधीन व्यय के गलत अभिनिर्धारण के कारण वर्गीकृत नहीं किये जा सकता।

2016-17 के दौरान, 14 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹1,139.59 करोड़ की राशि दर्ज की गयी जिसमें से सात मुख्य शीर्षों के अधीन ₹1,072.07 करोड़ (इन शीर्षों में कुल ₹4,218.34 करोड़ के व्यय का 25.41 *प्रतिशत*) के समग्र व्यय (प्रत्येक मामले में कुल व्यय के 10 *प्रतिशत* से अधिक) लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत दर्ज किए गए जैसा **परिशिष्ट 3.6** में इंगित है।

आगे की जाँच ने उजागर किया कि वृहत राशि वाले प्रमुख योजनाओं यथा अटल ग्राम ज्योति योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, तिलका माँझी कृषि पम्प योजना आदि पर उर्जा विभाग में ₹325.12 करोड़ तथा सिंचाई परियोजना के पुनरूद्धार, छोटानागपुर एवं संथाल परगना के अधीन चालू योजनाओं के निर्माण कार्य आदि पर जल संसाधन विभाग में ₹192.84 करोड़ ''800- लघुशीर्ष'' के अधीन कार्यान्वित किया गया।

इसी प्रकार, ₹1,335.62 करोड़ की रशि 47 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष ''800-अन्य प्राप्तियों'' के अंतर्गत दर्ज किये गए जिनमें से 27 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹1,085.02 करोड़ की (इन शीर्षों में कुल ₹1,425.67 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 76.11 *प्रतिशत*) राजस्व प्राप्तियाँ (प्रत्येक मामलों में कुल प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से

ज्यादा) लघु शीर्ष ''800-अन्य प्राप्तियाँ" के अधीन वर्गीकृत किये गये। 11 मुख्य शीर्षों की संपूर्ण प्राप्तियाँ इस बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष ''800- अन्य प्राप्तियाँ'' के अधीन वर्गीकृत किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में इंगित है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से वर्तमान में लघुशीर्ष 800 में दर्ज सभी मदों की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में सभी ऐसी प्राप्तियाँ व व्यय उचित लेखा-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये जाते हैं।

3.10 रोकड़ शेष में अंतर

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) द्वारा परिकलित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित (31.03.2017 तक) राज्य सरकार के रोकड़ शेष के बीच ₹24.05 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा आँकड़ों के असमाशोधन के कारण हैं। ₹24.05 करोड़ (क्रेडिट) में से, अक्तूबर 1987 के पूर्व की अवधि से संबंधित ₹1.61 करोड़ राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निपटारा/अपलेखन हेतु चर्चा के अधीन है।

3.11 लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण अवयव

- **प्रमुख उचंत लेखे के अंतर्गत बकाया शेष**

उचंत शीर्ष का प्रचालन तब किया जाता है जब प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव में अथवा अन्य कारणों से एक अंतिम लेखाशीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे लेखाशीर्ष ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित किये जाते हैं जब उनके अंतर्गत राशियाँ उनसे संबद्ध अंतिम लेखाशीर्षों में दर्ज कर लिये जाते हैं। वर्ष के अंत में अनिष्पादित रह गयी उचंत राशियाँ सरकार के उस वर्ष के प्राप्ति और व्यय के सही प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति **तालिका 3.10** में इंगित हैं।

तालिका 3.10 : उचंत शीर्ष (8658) के अंतर्गत शेषों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2014-15		2015-16		2016-17		सितम्बर 2017 को	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101 वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	11.47	---	19.10	---	46.06	24.77	17.90	0.00
निवल	डेबिट 11.47		डेबिट 19.10		डेबिट 21.29		डेबिट 17.90	
102 उचंत लेखा (सिविल)	1.10	0.00	6.72	5.76	160.19	11.59	58.78	0.00
निवल	डेबिट 1.10		डेबिट 0.96		डेबिट 148.60		डेबिट 58.78	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2016-17

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों के तात्पर्य नीचे बताये गये हैं:

- **भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) उचंत**

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो केन्द्र सरकार के भु.ले.का. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड द्वारा किए गए हैं, जिनकी वसूली किया जाना है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से भु.ले.का. द्वारा किये गए उन भुगतानों को दर्शाते हैं जो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को समायोजित किया जाना है। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल डेबिट शेष (₹21.29 करोड़) के समायोजन पर राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होगी।

- **उचंत लेखा (सिविल)**

यह लघु शीर्ष प्राप्तियों के लेखांकन के लिए क्रेडिट एवं व्यय के लिए डेबिट किया जाता है एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित किया जाता है। इस मद के निष्पादन पर रोकड़ शेष में कोई प्रभाव नहीं होता है।

3.12 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन

पूँजीगत खंड के अंतर्गत ₹11,935.23 करोड़ तथा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत ₹6,583.36 करोड़ के शेष सहित लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत ₹7,443.90 करोड़ की राशि का शेष उत्तरवर्ती बिहार और झारखण्ड राज्यों के बीच, नवंबर 2000 से तत्कालीन बिहार राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशकों के बाद, संविभाजन किया जाना बाकी है।

अनुशंसा:
राज्य सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जमा एवं अग्रिम के अधीन शेषों के संविभाजन को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता है।

3.13 राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 (विगत वर्षों के सापेक्ष प्रावधान से आधिक्य व्यय) पर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने पूर्व में ही चर्चा किया था तथा लो.ले.स. की अनुशंसा पर दिनांक 13.01.2014 को प्रावधान से आधिक्य व्यय राशि ₹8,120.63 करोड़ में से ₹8,120.12 करोड़ की राशि को विनियमित किया था। उस तिथि के बाद वर्ष 2016-17 तक प्रावधानों से किसी भी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में लो.ले.स. द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गयी है।

3.14 राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

व्यय एवं राजस्व के गलत प्रविष्टि/लेखांकन का प्रभाव राजस्व आधिक्य में ₹258.54 करोड़ के अत्योक्ति एवं राजकोषीय घाटे में ₹154.70 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में

हुआ जैसा कि वित्त लेखे में दर्शाया गया है जो नीचे **तालिका 3.11** में दिया गया है।

तालिका 3.11: लेखे के अनुसार राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत खंड के अधीन दर्ज सहायता अनुदान	105.00	0	0	0
पूँजीगत खंड के स्थान पर राजस्व खंड के अधीन दर्ज प्रमुख निर्माण	0	1.16	0	0
समेकित ह्रास निधि में आंशिक योगदान	82.65	0	0	82.65
प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि में योगदान नहीं दिया जाना	0.79	0	0	0.79
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा के अंतर्गत ब्याज जमा नहीं किया जाना	71.26	0	0	71.26
कुल	**259.70**	**1.16**	**0**	**154.70**
निवल प्रभाव	**₹ 258.54 की अत्योक्ति**		**₹154.70 की न्यूनोक्ति**	

तथापि, प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों में जैसी चर्चा की गयी है, व्यय और राजस्व की गलत प्रविष्टि/लेखांकन के प्रभाव जैसा लेखापरीक्षा द्वारा परिगणित किया गया की चर्चा निम्न **तालिका 3.12** में की गयी है:

तालिका 3.12: लेखापरीक्षा के अनुसार राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		बकाया दायित्वों पर प्रभाव
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	न्यूनोक्ति
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत खंड के अधीन दर्ज सहायता अनुदान	105.00	0	0	0	0
पूँजीगत खंड के स्थान पर राजस्व खंड के अधीन दर्ज प्रमुख निर्माण	0	1.16	0	0	0
वेतन, रखरखाव, कार्यालय व्यय और यात्रा भत्ता इत्यादि पर व्यय को राजस्व खंड के स्थान पर पूंजीगत खंड के अधीन दर्ज किया गया	583.79	0	0	0	0
बोर्ड को श्रम सेस का अंतरण नहीं किया जाना	312.90	0	0	312.90	312.90
सिंकिंग फंड में हस्तांतरण नहीं किया गया	282.65	0	0	282.65	282.65
ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा के अंतर्गत ब्याज क्रेडिट नहीं किया जाना	75.64	0	0	75.64	75.64
प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि में अंशदान नहीं किया जाना	0.79	0	0	0.79	0.79
कुल	**1,360.77**	**1.16**	**0**	**671.98**	**671.98**
निवल प्रभाव	**₹1,359.61 की अत्योक्ति**		**₹ 671.98 की न्यूनोक्ति**		

उपरोक्त को देखते हुए, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो ₹ 1,964.89 करोड़ एवं ₹ 10,192.38 करोड़ है जैसा कि वित्त लेखे में अनुमानित था, राजस्व आधिक्य के ₹1,359.61 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे के ₹ 671.98 करोड़ की न्यूनोक्ति के कारण वास्तव में क्रमश: ₹ 605.28 करोड़ और ₹ 10,864.36 करोड़ होगा जैसा कि **तालिका 3.12** में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि राज्य के दायित्व की ₹ 671.98 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।

राँची **(सी. नेडुन्चेलियन)**
दिनांक **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**